संख्या:23/2026/129/2013543

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक: 31जनवरी, 2026

विषयः-मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीड कैपिटल की द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-39/2023/384/आठ-1-2023-1450/2022टी0सी0-1, दिनांक 06 अप्रैल, 2023, सख्या-50/2023/741/आठ-1-2023-1450/2022, दि0 09.08.2023 एवं उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 02.01.2026 दिनांक 10.01.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के कॉलम-7 में अंकित धनराशि अधोभाग में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को अधिकतम 20 वर्षों के लिए सीड

कैपिटल की द्वितीय किश्त की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल प्रदान करती हैं :-

क्र0सं0	प्राधिकरण का नाम	प्रस्तावित परियोजना/परियोजना के अन्तर्गत सम्भावित अर्जन व्यय (रू0 करोड़)	सीड कैपिटल के रूप में अनुमन्य अधिकतम धनराशि की सीमा (रू0 करोड़)	पूर्व में स्वीकृत की गयी धनराशि (रू0 करोड़)	ब्याज के रूप में अर्जित धनराशि (रू0 करोड़)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि (रू0 करोड़)
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (डिडौरी, डिडौरा व वसूलपुर)	1372.99	686.50	200.00	15.59	184.41 (प्राधिकरण द्वारा अवगत कराये गये अर्जित ब्याज की धनराशि रू0 15.59 करोड़ को समायोजित करते हुए)
					योग	184.41

(1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास के क्रियान्वयन के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-39/2023/384/आठ-1-2023-1450/2022टी0सी0-1, दिनांक 06.04.23 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि क्रय के संबंध में शासन द्वारा समय-समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समस्त उत्तरदायित्व मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।

(3) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने के उपरान्त अवमुक्त किये गये सीड कैपिटल की सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

(4) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित टाउनशिप में अध्यासियों के सापेक्ष प्रर्याप्त पेय जल एवं भू-गर्भ जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(5) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यतवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(8) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित/आच्छादित है।

(9) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए/पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को सेंटेज देय नहीं होगा तथा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार भुगतान की जायेगी।

(11) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।

(12) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की होगी तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगें कि कि प्रायोजना का कार्य स-समय पूर्ण करा लिया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अर्जन हेतु सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्षो हेतु उपलब्ध करायी जा रही इस धनराशि से क्रय की जाने वाली भूमि का एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। इसका उपयोग भिन्न-भिन्न स्थलों पर छूटपुट भूमि क्रय किये जाने में नहीं किया जायेगा।

(14) भूमि का अर्जन/क्रय सुसंगत अधिनियम/शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश)

नियमावली 2016 तथा भू-राजस्व से संबंधित अन्य संगत अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न संगत निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,84,41,00000.00 (रुपये एक अरब चौरासी करोड़ इक्तालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 002 लेखा शीर्षक 4217608000300 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या:- E-8-849-X-2025-26- दिनांक: 30-1-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या :23/2026/129(1)/2013543 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) संबंधित आयुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(9) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(10) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन से संबंधित शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2।
(12) नियोजन अनुभाग-4 ।
(13) सचिव/वित्त नियंत्रक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि उपलब्ध/अन्तरित करने हेतु बैंक खाता संख्या (राष्ट्रीयकृत बैंक)/बैंक का नाम एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड आदि की सूचना ईमेल

आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

(14) लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त प्रस्तर-1 के तालिका के कॉलम-7 में अंकित धनराशि कोषागार से आहरित कर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(15) निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(16) वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

(17) वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

(18) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार राय

विशेष सचिव।